संख्या:13/2015/2580/12-2-2015-बजट.5/2012

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 17 अगस्त, 2015

विषयः प्रदेश में संचालित योजनाओं में वितरित किए जाने वाले प्रमाणित बीजों पर अनुदान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर(डी0बी0टी0)के अन्तर्गत आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से कृषकों के बैंक खाते में सीधे स्थानान्तरित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः एस0एफ0/465-टी/रबी 2015-16 दिनांक 23 जुलाई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रबी 2015-16 के बीजों के वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश में संचालित विभिन्न योजनाओं में वितरित किए जाने वाले प्रमाणित बीजों पर अनुदान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) के अन्तर्गत आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से कृषकों के बैंक खाते में सीधे स्थानान्तरित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

2. इस व्यवस्था के अन्तर्गत रबी सत्र 2015-16 के दौरान विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीजों के वितरण एवं अनुदान को कृषकों को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में परिवर्तित प्रक्रिया निम्नवत होगीः-

(i) विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज सरकारी/अर्द्धसरकारी/सहकारी संस्थाओं यथा कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, यू0पी0एग्रो, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, इफको एवं कृभको इत्यादि के बीज विक्रय केन्द्रों के माध्यम से कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा। केवल उन्ही बीज विक्रय केन्द्रों से अनुदानित बीज वितरण की व्यवस्था की जायेगी, जो संस्थाओं को अपने कर्मचारियों के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। निजी विक्रेताओं के माध्यम से अनुदानित बीज की विक्री एवं वितरण का कार्य नहीं करवाया जायेगा।

(ii) जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड में 5 से 10 विक्रय केन्द्रों की व्यवस्था की जायेगी, जहाँ से कृषक अपनी इच्छानुसार प्रमाणित बीज खरीद सकेंगे। विकास खण्ड अन्तगत विक्रय केन्द्रों का चयन एवं निर्धारण निदेशक, कृषि के द्वारा किया जायेगा। कृषकों द्वारा कई बार एक से अधिक फसलों/प्रजातियों का बीज भी क्रय किया जाता है। अतः उन्हे यह स्वतंत्रता होगी कि अपने विकास खण्ड के अन्तर्गत स्थापित किए गए किसी भी विक्रय केन्द्र से प्रमाणित बीज का क्रय कर सकेंगे। किसी भी कृषक को अधिकतम 02 हेक्टेयर की सीमा तक के लिए ही अनुदान पर प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जायेगा।

(iii) प्रमाणित बीजों को एक कृषक के द्वारा तीन वर्ष तक प्रयोग में लाया जा सकता है। अतः जिन कृषकों को रबी 2015 में प्रमाणित बीज अनुदान पर उपलब्ध कराया जायेगा, उन्हे भ् रबी 2018 में ही अगली बार प्रमाणित बीज पर अनुदान की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। ऐसा करने से अधिक से अधिक कृषकों को वर्षानुवर्ष सरकार की योजना का लाभ प्राप्त होगा तथा प्रदेश में उत्पादकता एवं उत्पादन में भी वृद्धि होगी।

(iv) प्रमाणित बीजों के लिए पंजीकृत कृषकों को 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर निर्धारित विक्रय केन्द्रों से बीज उपलब्ध कराया जायेगा।

(v) जिन कृषकों के द्वारा अपना पंजीकरण पारदर्शी किसान सेवा योजना के अन्तर्गत कराया जा चुका है, उन्हे रबी 2015 में अनुदान पर प्रमाणित बीज प्राप्त करने हेतु फिर से पंजीकरण करवाने अथवा विकल्प देने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हे स्वतः ही प्रमाणित बीजों हेतु अर्ह मान लिया जायेगा तथा रबी 2015 के लिए उनका विकल्प विभाग के द्वारा ही पोर्टल पर इंगित करा दिया जायेगा। इनमें से जिन कृषकों ने अपने आवश्यक दस्तावेज जैसे- पहचान पत्र, खतौनी एवं बैंक खाते की प्रति उपलब्ध नहीं करायी है उन्हे यह सुनिश्चित करने के लिए 15सितम्बर, 2015 तक का अवसर प्रदान किया जायेगा। सभी दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात ही कृषकों को अनुदान की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

(vi) जिन कृषकों ने अभी तक पारदर्शी किसान सेवा योजना के अन्तर्गत अपना पंजीकरण नहीं कराया है, उनके लिए

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पंजीकरण का अभियान 19 अगस्त, 2015 से प्रारम्भ करा दिया जायेगा, जो 20 सितम्बर, 2015 तक निरन्तर चलेगा। अपंजीकृत कृषक इस दौरान अपना पंजीकरण उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी तथा विकास खण्ड पर निर्धारित प्रारूप पर फार्म भरकर करा सकेंगे। उक्त के अतिरिक्त कृषक लोकवाणी/सामान्य सुविधा केन्द्र/साइबर कैफे से भी अपना पंजीकरण करा सकेंगे किन्तु उनको अपने आवश्यक दस्तावेज विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध कराने होंगे। पंजीकरण की तिथियों में कृषकों की आवश्यकता के अनुसार शासन के द्वारा संशोधन किया जा सकेगा। दिनांक 25 सितम्बर, 2015 को विकास खण्ड स्तर पर ग्रामवार पंजीकृत कृषकों की सूची चस्पा कर दी जायेगी।

(vii) पंजीकृत कृषकों को विक्रय केन्द्र पर पहुंचते ही निर्धारित प्रारूप पर अपना विवरण इंगित करना होगा। इसके पश्चात कृषकों को उनकी इच्छानुसार प्रमाणित बीज उपलब्ध करा दिया जायेगा। कृषकों के द्वारा पूरा मूल्य देकर बीज क्रय किया जायेगा तथा अनुदान की धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर सुनिश्चित करने हेतु भेज दी जायेगी।

(viii) अनुदान की धनराशि कृषकों के बैंक खाते में भेजने में अधिकतम 15 दिन का समय लिया जायेगा। अनुदान का बिल कोषागार में प्रस्तुत करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कृषि बीज गोदाम से विक्रय किए गए बीजों के मूल्य की धनराशि कोषागार में जमा की जा चुकी है।

(ix) विक्रय केन्द्रों के द्वारा रसीद तीन प्रतियों में बनायी जायेगी, जिसमें से एक प्रति कृषक को उपलब्ध करा दी जायेगी। रसीद की दूसरी प्रति कृषक के द्वारा भरे गए फार्म एवं दिन भर के कृषकों की सूची के साथ अगले दिन कृषि विभाग के बीज गोदाम के प्रभारी को उपलब्ध करा दी जायेगी। अन्य एजेन्सियों के द्वारा विकास खण्ड स्तर पर डी0बी0टी0 का कार्य सुचारू-रूप से सम्पन्न करने में सहायता उपलब्ध कराने हेतु आवश्यकतानुसार अपने स्टाफ की सेवाएं भी समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेंगीं।

(x) बीज विक्रय की संकलित रिपोर्ट प्रतिदिन सांयकाल संबंधित उप कृषि निदेशक, मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक को प्रेषित करेंगे तथा मण्डल स्तर पर संकलित रिपोर्ट निदेशालय के बीज एवं प्रक्षेत्र अनुभाग को प्रत्येक दिन विभागीय ई-मेल ada_sf/ adaseedandfarmlko@gmail.com पर प्रेषित की जायेगी, जिसका प्रारूप निम्नवत है:-

| क्र0सं0 | जनपद | संस्था का नाम | फसल का नाम | कुल लाभान्वित कृषकों की संख्या | कुल वितरित बीज की मात्रा | कुल मूल्य | केन्द्रीय अनुदान की कुल धनराशि | आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से हस्तान्तरित धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

(xi) कृषकों के द्वारा विक्रय केन्द्रों पर भरे जाने वाले फार्म का प्रारूप निम्नवत है:-

**<u>प्रारूप</u>**

कृषक द्वारा भरा जायेगा

| क्र0सं0 | मद | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | जनपद | |
| 2 | तहसील | |
| 3 | विकास खण्ड | |
| 4 | राजस्व ग्राम का नाम | |
| 5 | कृषक का नाम एवं पिता का नाम | |
| 6 | गाटा/खसरा नम्बर | |
| 7 | क्षेत्रफल | |
| 8 | बैंक का शाखा का नाम | |
| 9 | बैंक खाता संख्या | |
| 10 | आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 आई0एफ0एस0सी कोड | |
| 11 | फसल/प्रजाति का नाम | |
| 12 | मात्रा | |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

| | | |
|---|---|---|
| | हस्ताक्षर कृषक<br><br>---------- | |
| कार्यालय के द्वारा भरा जायेगा | | |
| 13 | कृषक अंश की धनराशि<br>(1) केन्द्र अनुदान की धनराशि ----------<br>(2) राज्य अनुदान की धनराशि---------- | |
| 14 | कुल मूल्य---------- | |
| ----------कृपया यहॉ से फाडे---------- | | |

प्राप्ति रसीद (कृषक को उपलब्ध करायें)

श्री ----------पुत्र ----------ग्राम----------ब्लाक---- जनपद----------से ---------- फसल----------प्रजाति---------- के बीज की मात्रा--------- कुं0 का कैशमेमो दिनांक---------- को प्राप्त किया।

अनुदान की दर

| | |
|---|---|
| 1 | गेहूँ |
| 2 | जौ |
| 3 | चना |
| 4 | मटर |
| 5 | मसूर |
| 6 | राई |
| 7 | तोरिया |
| 8 | अलसी |

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
सील

3. मुझे यह भी कहना है कि कृषि विभाग के द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न फसलों का क्लस्टर प्रदर्शन भी कराया जाता है। इसके अनतर्गत कृषकों के समूह के 100 हेक्टेयर भूमि के क्लस्टर पर कृषि विभाग की देखरेख में वैज्ञानिक पद्धति से खेती करायी जाती है ताकि उन्नत तकनीक का कृषकों के मध्य प्रदर्शन हो सके। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रदर्शन में सम्मिलित किए जाने वाले कृषकों हेतु बीज की व्यवस्था भी उपरोक्तानुसार डी0बी0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से की जायेगी। इसका कार्यान्वयन जनपद के उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

4. गेहूँ के प्रमाणित बीज का विक्रय दिनांक 01 अक्टूबर, 2015 से प्रारम्भ किया जायेगा। अन्य फसलों के प्रमाणित बीजों का वितरण समयानुसार प्रारम्भ किया जायेगा।

5. प्रमाणित बीज के पंजीकरण एवं वितरण का व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए महत्वपूर्ण समचार-पत्रों में भी विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा। अन्य सभी माध्यमों, यथा पैम्फलेट, केबल टी0वी0, गोष्ठियों इत्यादि के माध्यम से भी व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाये।

6. कृपया उपरोक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

भवदीय,

( अमित मोहन प्रसाद )
प्रमुख सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: 13/2015/2580 (1)/12-2-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. सचिव, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
6. पमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग/सहकारिता विभाग/वित्त विभाग/नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम/पी0सी0एफ0/यू0पी0स्टेट एग्रो इण्ड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लि0/इफको/कृभको, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ।
12. समस्त परियोजना अधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ।
13. समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
15. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
16. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
17. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

( इन्द्रदेव पटेल )
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।